830
29.11.14

R 4201-III/14

44

निगरानीकर्ता :– शिवभान प्रसाद वैस तनैय श्री राजरूप वैस उम्र 42 साल पेशा खेती निवासी ग्राम बडेसर थाना एवं तहसील रामपुरनैकिन जिला सीधी (म0प्र0)

बनाम,

उत्तरवादीगण :– 1– भैयालाल वैसवार तनय अयोध्या वैसवार

2– राजकिशोर वैसवार तनय दशरथ वैसवार

दोनो का पेशा खेती निवासी ग्राम बड़ेसर थाना व तहसील रामपुरनैकिन जिला सीधी (म0प्र0)

3– मध्यप्रदेश शासन

श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी एड द्वारा आज दिनांक 29-11-14 के प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् नायव तहसीलदार महोदय वृत्त हनुमानगढ तहसील रामपुरनैकिन जिला सीधी म0प्र0 प्रकरण कमांक 27/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 30.9.2014, पारित अन्तरगत धारा 129 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

क्रमांक 3881
... द्वारा आज दिनांक ... को प्राप्त
6-12-14

		अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
30–5–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत्त हनुमानगढ तहसील रामपुरनैकिन जिला सीधी के प्रकरण कमांक 27/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 30–09–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। प्रकरण में आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया। आदेश की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार ने अपने आदेश के द्वितीय पैरा में यह लेख किया है कि ''राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 20–4–14 के अनुसार सर्वे नम्बर 1288 के अंश भाग रकबा 0.05 हे0 में शिवभान पिता राजरूप बैसवार का कब्जा पाया गया है। संलग्न खसरा के अनुसार सर्वे नं0 1288 में अनावेदक (भैयालाल) का नाम तथा सर्वे न0 1289 श्रीमती फलवसुआ देवी पत्नी अवधराज सिंह भूमिस्वामी अंकित है। ऐसी स्थिति में आपत्तिकर्ता के नाम उक्त दोनों नम्बरान दर्ज होना नहीं पाया जाता है।'' स्पष्ट है नायब तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति का विधिवत निराकरण कर सीमांकन की पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त आवेदक सरहदी काश्तकार एवं हितबद्ध पक्षकार होने के संबंध में कोई ठोस आधार दर्शाने में भी असमर्थ रहे। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	